गिरधारी **बनाम** कानूराम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

61/2021 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21-8-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। उभयपक्ष के कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस हेतु समय चाहा। आ.ता.पेशी पर कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस करे। पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात दिनांक 25-8-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
25-8-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। उभयपक्ष की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18-9-2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
18-9-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पूर्व में उभय पक्ष ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री करने का निवेदन किया है अतः वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा

आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –61/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक –28.07.2021

गिरधारीलाल पुत्र सुवालाल जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का देवगुढा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र सुवालाल
2. शंकरलाल पुत्र सुवालाल
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का देवगुढा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. जगदीश पुत्र सुवालाल
4. पवन कुमार पुत्र मोहनलाल पौत्र सुवालाल
5. बनवारी लाल पुत्र मोहनलाल पौत्र सुवालाल
6. मनभरी देवी पत्नी मोहनलाल
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..............प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 18.09.2023

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का देवगुढा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 156 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 157 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158 रकबा [illegible] हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर स्थित है जिसमें कालूराम पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5, गिरधारीलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5, जगदीश पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5, पवन कुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/15, बनवारीलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/15, मनभरी पत्नी मोहनलाल हिस्सा 1/15, शंकरलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5 दर्ज है तथा राजस्व ग्राम जाहोता, तहसील आमेर जिला

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

जयपुर स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1764 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1765 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1766 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर स्थित है। जिसमे कालूराम पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5, गिरधारीलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5, जगदीश चंद पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5, पवन कुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/15, बनवारीलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/15 मनभरी देवी पत्नी मोहनलाल हिस्सा 1/15, शंकरलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5 दर्ज है तथा ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1775 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1776/2363 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1778 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1779 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें गिरधारीलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/3, जगदीश चंद पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/3, पवन कुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/9, बनवारीलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/9, मनभरी पत्नी मोहनलाल हिस्सा 1/9 दर्ज है जो इस वादपत्र में वादग्रस्त आराजी है। जिसे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा का डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम राजस्व ग्राम कंवरपुरा तहसील आमेर स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 156 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.05 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 158 रकबा 1.93 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर में बंटवारानामा दिनांक 28.12.2002 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जपुर स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 1764 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1765 रकबा 0.72, 1766 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 1775 रकबा 0.60 हैक्टेयर, 1776/2363 रकबा 0.09, खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.36 है, 1779 रकबा 0.44 है, कुल किता 7 कुल रकबा 2.71 है. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर वादी को 1/3 भाग का व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार [illegible] इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तकरामा का डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 1764 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1765 रकबा 0.72 हैक्टेयर खसरा नमबर 1766 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1775 रकबा 0.60 हैक्टेयर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

खसरा नम्बर 1776 / 2363 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.71 हैक्टेयर मे से वादी को 1 / 3 भाग का रकबा 0.9033 हैक्टेयर [illegible] भूमि के [illegible] खसरा नम्बर 1764, 1765, 1766 स्थित ग्राम [illegible] मे से दिये जाकर खसरा नम्बर 1764, 1765, 1766 मे से शेष रकबा 0.3167 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 को दिया जावे तथा ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 1775 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1776 / 2363 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर सम्पूर्ण [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 के हक [illegible] विभाजन किया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ [illegible] संवत 2073–76 खाता संख्या 30 ग्राम कंवरपुरा, तहसील आमेर , जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 77 तहसील आमेर, जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 69 ग्राम जाहोता तहसील आमेर, बंटवारानामा दिनांक 28.12.2002 व आवासीय पट्टा पेश किया गया।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार [illegible] पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण [illegible] पर इकबालिया जवाब पेश होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादी ने गवाह साक्ष्य शपथ पत्र गिरधारी लाल पुत्र सुवालाल pw-1 प्रदर्शित करवाया। प्रतिवादीगण ने सहमति जवाबदावे के आधार पर जिरह नहीं की तथा गवाह साक्ष्य भी पेश नही किये।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। [illegible] द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामा दिनांक 28.12.2002 के अनुसार [illegible] तहसीलदार आमेर जयपुर की कुरेजात [illegible] किया गया।

उपतहसीलदार [illegible] तहसील आमेर [illegible] पत्र क्रमांक भू.अ. / कुरेजात / 2023 / 1768 दिनांक 03.08.2023 को कुरेजात [illegible] प्राप्त हुई। प्रकरण मे उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं [illegible]

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट वाद अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुरेजात रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी एवं निर्णय के साथ पढी जावेगी। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या –61 / 2021   वाद प्रस्तुति दिनांक 29.07.2021

गिरधारीलाल पुत्र सुवालाल जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का देवगुढा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र सुवालाल
2. शंकरलाल पुत्र सुवालाल
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. जगदीश पुत्र सुवालाल
4. पवन कुमार पुत्र मोहनलाल पौत्र सुवालाल
5. बनवारी लाल पुत्र मोहनलाल पौत्र सुवालाल
6. मनभरी देवी पत्नी मोहनलाल
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

...............प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 18.09.2023

वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी एवं निर्णय के साथ पढ़ी जावेगी। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 18.09.2023 को जारी किया।

दस्तखत

ओहदा

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण नंबर 01/22
वजनलाली गिरधारी लाल बनाम कौशल्या वगै.
निर्णय दिनांक 18.03.2025

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा तलबाना			खर्चा तलबाना		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बदल इजराय हुक्मनामा			बदल इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक	4 रुपये		मुतफर्रिक	4 रुपये	
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
आमेर मु॰ जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर